ऑन लाईन नं. RCMS 2016/00099

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टबर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 13/2024

1. बलदेव राज पुत्र श्री ठाकर दास जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मृतक)

   1/1 सरोजदेवी पत्नी बलदेव राज जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

   1/2 नरेश कुमार पुत्र बलदेव राज जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

   1/3 रजनी देवी पुत्री बलदेव राज जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

   1/4 वीना पुत्री बलदेव राज जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

   1/5 पुजा पुत्री बलदेव राज जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

   1/6 यशपाल पुत्र बलदेव राज जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. लेखराज पुत्र श्री ठाकर दास जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सतीश कुमार पुत्र श्री ठाकर दास जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्याम लाल पुत्र श्री ठाकर दास जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

   3/1 विशव कुमार पुत्र श्यामलाल जाति अरोडा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. अशोक कुमार पुत्र श्री ठाकर दास जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. नायब तहसीलदार (राजस्व) चूनावढ।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार (राजस्व) चूनावढ का आदेश दिनांक 28.01.2013 जिसकी रूह से इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया बमुराद मन्सूख है।

उपस्थित :

1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: आदेश ::

दिनांक :–08.01.2025

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता ठाकर दास पुत्र श्री किशनचन्द को भारत सरकार द्वारा चक 26 जीजी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 23 में 3.162 हैक्टयर रकबा अलाट किया गया था। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास होने के बाद अपीलांट की बहिन शान्ति देवी, मोहनीदेवी, राजरानी, कान्ता रानी, फूला देवी ने अपने हिस्सा की दस्तबरदारी अपने भाईयों तथा अपनी माता भिरावां बाई के हक में दिनांक 13.09.1989 को कर दी थी जिसका इन्तकाल अपीलांट व रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज किया गया नकल दस्तबरदारी व इन्तकाल नकल शामिल है। यह इन्तकाल किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया , बिना अपीलांट को सुने ही बिना किसी आधार पर दोबारा इन्तकाल ठाकरदास के वारिसान के नाम दर्ज किया बया जिसकी जानकारी अपीलांट को नही थी। अपीलांट को नकल जमाबन्दी की नकल लेने गया तो पटवारी ने बताया कि दिनांक 24.02.2016 को आपके नाम 1/22 हिस्सा दर्ज है तो अपीलांट ने कहा कि मेरे नाम 1/7 हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है। रकबा कम कैसे हो गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि दौबारा इन्तकाल दिनांक 23.01.2013 को हो गया है पता चलते ही नकल की दरखावास्त दी नकल मिलते ही अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है।

1. यह कि हुक्म अदालत मातहत का गैर कानूनी है, वह दौबारा गैर मिसल के है। नकल फैसला शामिल है।
2. यह कि भारत सरकार द्वारा अपीलांट के पिता ठाकर दास को चक 26 जीजी तहसील श्रीगंगानगर 12.10 बिस्वा रकबा अलाट है। अलाटी ठाकर दास की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अपीलांट की तमाम बहिन जरिए दस्तबरदारी के आधार पर अपीलांट व रेस्पोडेन्टान के हक में दिनांक 13.09.1989 कर दी थी। इस दस्तबरदारी के आधार पर इन्तकाल भी अपीलांट के नाम दर्ज हो गया था। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
3. यह कि ठाकर दास के मरने के बाद उपरोक्त रकबा का इन्तकाल अपीलांट व अपीलांट की माता तथा अपीलांट के भाई के नाम हो गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में रकबा दर्ज हो गया तथा जब तक उपरोक्त इन्तकाल निरस्त नहीं हो जाता तब तक नया इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जा सकता। यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष मौजूद थे मगर अदालत मातहत ने इस पर गौर नहीं किया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि दस्तबरदारी तथा पूर्व इन्तकाल किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक नया इन्तकाल कानूनन तस्दीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत मातहत ने बिना इन्तकाल पूर्व को निरस्त किये ही नया इन्तकाल तस्दीक करके कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है।
5. यहा कि इन्तकाल करने से पूर्व किसी भी नियम व कानून की बिना पालना किये इन्तकाल तस्दीक करके अदालत मातहत ने भारी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है।
6. यह कि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया ना ही कोई साबूत प्रस्तुत करने का मौका दिया गया ओर ना ही कोई प्रकिया अपनाई गई। इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

7. यह कि अदालत मातहत का आदेश सामाजिक व प्राकृतिक सिद्वान्तो के खिलाफ होने के कारण निरस्त करने योग्य है।
8. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया इसलिए अपीलांट को उपरोक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नही हुई। अपीलांट दिनांक 24.02.2016 को इन्तकाल की नकल लेने गया तो अपीलांट को पटवारी हल्का ने बताया कि रकबा का दौबारा इन्तकाल हो गया है। आपका केवल 1/22 हिस्सा दर्ज है। पता चलते ही नकल की दरखवास्त दी, नकल मिलते ही अपील पेश कर रहा है जो ईल्म से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जावें तथा इन्तकाल संख्या 447 दिनांक 28.01.2013 को निरस्त फरमाया जावें एवं इन्तकाल संख्या 250 दिनांक 25.06.2000 को बहाल रखा जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि:–

1. यह कि अपीलांट द्वारा एक अपील इन्तकाल संख्या 447 दिनांक 28.01.2013 के विरूद्व माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें उप तहसीलदार चूनावढ के द्वारा इन्तकाल तस्दीक फरमाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज की गई।
2. यह कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2013 को जो इन्तकाल तस्दीक हुआ था, उक्त इन्तकाल पुनर्वास विभाग द्वारा जारी सनद की पालना में तस्दीक किया गया । जिसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में जमाबन्दी प्रस्तुत की जा रही है एवं पूर्व में अपीलांट द्वारा इन्तकाल की प्रति माननीय न्यायालय में पत्रावली में प्रस्तुत है जिससे स्पष्ट है कि उक्त इन्तकाल खातेदारी के सम्बन्ध में तस्दीक हुआ है।
3. यह कि अपीलांट द्वारा खातेदारी सनद को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। सनद अन्तिम हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है, कि जिनकी सनद जारी हो चुकी है उसमें कोई कार्यवाही हो सकती है। इस सम्बन्ध में 2008 डीएनजे राजस्थान पेज–396 में स्पष्ट है कि लम्बित मामलों में ही सुनवाई की जा सकती है जिनकी सनद जारी हो गई, उनमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इन सभी तथ्यों को छिपाकर अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में अपील पेश की गई है जो विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
4. यह कि अपीलाधीन आदेश खातेदारी सनद की पालना में दर्ज किया गया है और सनद को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, इसलिये माननीय न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है।
5. यह कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में निम्न दृष्टांन्त की प्रतिया पेश की जा रही है।
6. यह कि माननीय न्यायालय को दस्तबरदारी के सम्बन्ध में सुनने का क्षेत्राधिकार है। इस सम्बन्ध में 2021 आरआरटी पेज–451 में स्पष्ट है जिसकी प्रति प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

7. यह कि अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में अपील विधि विरूद्व तरीके से प्रस्तुत की गई है, जो कानूनी तौर पर चलने योग्य नहीं है। इसलिये अपील को निरस्त फरमाया जावें।

लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है इसलिए भी अपील खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान द्वारा निम्न नजीरें पेश की हैः–

(1) **2008(1) DNJ (RAJ.)-396**
(2) 2021 (1) RRT-451
(3) 2024 (1) RRT-653
(4) 2020 (1) RRT -175
(5) 2012 DNJ (REV.) -31

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता ठाकर दास को भारत सरकार द्वारा चक 26 जीजी तहसील श्रीगंगानगर 12.10 बिस्वा रकबा अलाट हुई थी। अलाटी ठाकर दास की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद अपीलांट की तमाम बहिनो द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्टान के हक में दिनांक 13.09.1989 को दस्तबरदारी कर दी थी। इस दस्तबरदारी के आधार पर इन्तकाल भी अपीलांट के नाम दर्ज हो गया था। ठाकर दास के मरने के बाद उपरोक्त रकबा का इन्तकाल अपीलांट व अपीलांट की माता तथा अपीलांट के भाई के नाम हो गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में रकबा दर्ज हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा पूर्व इन्तकाल निरस्त किये बिना ही नया इन्तकाल तस्दीक किया गया जबकि पूर्व इन्तकाल निरस्त किये बिना नया इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जा सकता था। दस्तबरदारी तथा पूर्व इन्तकाल जब तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक नया इन्तकाल कानूनन तस्दीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत मातहत ने बिना इन्तकाल पूर्व को निरस्त किये ही नया इन्तकाल तस्दीक करके कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया इसलिए अपीलांट को उपरोक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नही हुई। अपीलांट दिनांक 24.02.2016 को इन्तकाल की नकल लेने गया तो अपीलांट को पटवारी हल्का ने बताया कि रकबा का दौबारा इन्तकाल हो गया है। आपका केवल 1/22 हिस्सा दर्ज है। पता चलते ही नकल की दरखवास्त दी, नकल मिलते ही अपील पेश कर रहा है जो ईल्म से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जावें तथा इन्तकाल संख्या 447 दिनांक 28.01.2013 को निरस्त फरमाया जावें एवं इन्तकाल संख्या 250 दिनांक 25.06.2000 को बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्न नजीरे पेश की :–

(1) 2012 (1) RRT-668
(2) 2017 (2) RRT-1104

वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2024(1) पेज 653 में " दावाकर्ताओं द्वारा रेफरेन्स कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को चुनौती नहीं दी–अपील खारिज की–मियाद के बाहर पेश की अपील को खारिज करने का न्यायालय का दायित्व है चाहे विपक्षी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं उठाई हो – विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण बताने पर विलम्ब माफ किया जा सकता है–मियाद अधिनियम को धारा 5 निदेशात्मक प्रकृति की है–निर्णित , याचिका में गुणागुण का अभाव है व खारिज की"।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2013 का है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 24.02.2016 को उस समय हुई जब वह पटवारी हल्का से इन्तकाल की नकल लेने गया। अपीलांट के ग्रामीण परिवेश में होने के कारण व कागजों पर मुगालते से हस्ताक्षर करवाने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। प्रकरण का गुणावगुण पर विचारण किया जाकर निस्तारण किया जाना उचित है।

जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2013 को जो इन्तकाल तस्दीक किया गया है वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–एस.डी.ओ./गंगानगर/पुनर्वास/1– दिनांक 28.01.2013 द्वारा जारी सनद क्रमांक 307 की पालना में इन्तकाल संख्या 407 दिनांक 28.01.2013 तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा सनद क्रमांक 307 दिनांक 28.01.2013 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–एस.डी.ओ./गंगानगर/ पुनर्वास/1– दिनांक 28.01.2013 द्वारा जारी सनद क्रमांक 307 अन्तिम हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–एस.डी.ओ./गंगानगर/ पुनर्वास/1– दिनांक 28.01.2013 द्वारा जारी सनद क्रमांक 307 की पालनाा में इन्तकाल संख्या 447 दिनांक 28.01.2013 स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है **''दस्तबरदारी के सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आर. आर.टी...2021(1) सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11–वादपत्र का खारिज करना प्रार्थना पत्र खारिज किया–अप्रार्थी वादी ने काउन्टर जवाब में 1/6 के बजाय 1/3 हिस्से की –वाद में उसने भूमि में 1/6 हिस्से की मांग की–अप्रार्थी की बहनों ने रजिस्टर्ड रिलीज डीड निष्पादित कर भूमि में उनका हिस्सा छोड़ा–रिलीज डीड को राजस्व न्यायालय के समक्ष आक्षेपित नहीं किया जा सकता तथा केवल सिविल कोर्ट को अधिकारिता है–काउन्टर जवाब में किया गया दावा क्षेत्राधिकारिता के बाहर है–निर्णित काउण्टर जवाब खारिज किया। अतः उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है क्योंकि उक्त प्रकरण में दस्तबरदारी जो की गई है वह गैरखातेदार भूमि की कि गई है। गैरखातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार से ट्रांस्फर नहीं किया जा सकता।** अतः अपील अपीलांट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार चूनावढ को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर